

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 126/25

दिनांक 26.09.25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री जानकीलाल पुत्र सुनी श्री शोपाललाल न पार्थना  
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कडपावन पटवारी कडपावन तहसील छबड़ा  
जिला बारां की चालू जगाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 235, 236 में खातेदार/गैरखातेदार का  
ग्राम/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से  
खरवा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी कडपावन  
से करवाने पर पटवारी ने जाति के बजाय जाति खरवा  
करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में जाति चमार  
के बजाय जाति खरवा करना उचित बताया।  
अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भा.स. 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956  
एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अगिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत  
ग्राम कडपावन के खाता संख्या 235, 236 में खातेदार/गैरखातेदार का ग्राम/जाति चमार  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से खरवा दर्ज करने का  
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छबड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)